छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के शिकायत प्रकरण क. सी/687/2013 आर्डरशीट में पारित आदेश दिनांक 22–03–2014 की सत्यप्रतिलिपि।

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/687/2013

शिकायतकर्ता श्री आर.एस. क्षत्रिय, पत्रकार एवं उपाध्यक्ष छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कर्मचारी संघ बस्तर संभाग निवासी 44, आदर्श नगर, कांकेर (छ.ग.)

विरूद्ध

1. जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़, जिला कांकेर (छ.ग.)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री भीम सिंह, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 22.03.2014)

1. शिकायतकर्ता निवासी 44, आदर्श नगर कांकेर द्वारा आवेदन दिनांक 24.6.2012 की सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त न होने एवं प्रथम अपील दिनांक 26.8.2012 के बाद भी सूचना प्रदाय नहीं करने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत यह शिकायत दिनांक 04.10.2013 प्रस्तुत किया जाकर शिकायत की जांच करने, एवं कार्रवाई करने, जनसूचना अधिकारी से शिकायतकर्ता को जानकारी निःशुल्क दिलाने, शिकायतकर्ता को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित एवं जुर्माना करने की मांग की गई है।
2. प्रकरण प्रस्तुत हुआ, जिसका अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अपील दिनांक 26.8.2012 के बाद भी सूचना प्रदाय न किये जाने के कारण यह शिकायत प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार प्रथम अपील का निराकरण आदेश दिनांक 18.9.2013 द्वारा किया गया, जिसमें सूचना प्रदाय करने का निर्देश दिया गया। शिकायत में इस तथ्य का स्पष्ट उलेख नहीं किया गया है, परन्तु यह माना जाता है कि प्रथम अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया गया। चूंकि प्रथम अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रथम अपीलीय अधिकारी की ही है, अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने आदेश का पालन न करने की स्थिति में प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।
3. प्रकरण में आवेदन दिनांक 24.6..2012 के माध्यम से कु0 श्वेता गनवीरे की सेवा पुस्तिका, वेतन भुगतान, अवकाश स्वीकृति की व्यक्तिगत सूचना की मांग किया गया है, जिसे अधिनियम की धारा 8(1) (जे) के अंतर्गत प्रदाय करने से छूट प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरीश आर. देशपाण्डे विरूद्ध सी.आई.सी. एण्ड अदर्स, के प्रकरण एस.एल.पी. (सी) 27734/2012 में पारित

सत्य प्रतिलिपि
उपसचिव
छ.ग.राज्य सूचना आयोग
रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/687/2013

पूर्व पृष्ठ से :-

निर्णय दिनांक 3.10.2012 का निम्न अंश प्रासंगिक एवं अवलोकनीय है:

> " 13 .....The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual. ....."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अथारिटी की संतुष्टि पर इस प्रकार की सूचना को तभी प्रकट किया जा सकता है जब वृहद लोक हित में आवश्यक हो, परन्तु आवेदक अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता।

4 शिक्षा कर्मी की सेवा पुस्तिका, वेतन भुगतान एवं अवकाश स्वीकृति की जानकारी वांछित है, जिसका संबंध कर्मचारी एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी के बीच का मुद्दा है एवं व्यापक लोक हित तथा लोक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत सूचना प्रदाय करने की बाध्यता नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा निःशुल्क जानकारी दिलाने की भी मांग किया गया है, जिसे कि अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रावधान न होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी प्रथम अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कराया जाना है।

5 उपरोक्त स्थिति के आधार पर शिकायत की आगे जांच का युक्तियुक्त आधार न होने के कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सत्य प्रतिलिपि
उपसचिव
छ.ग.राज्य सूचना आयोग
रायपुर

सही/--
सरजियस मिन्ज
(मुख्य सूचना आयुक्त)